न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : लोक बंधु, आई0ए0एस0

पंचायत निगरानी प्रार्थना पत्र सं. 20/2022

प्रार्थीनी –	बनाम	अप्रार्थी –
श्रीमती सलामत पत्नी अकबर खां जाति मोयला निवासी बस स्टेशन असाड़ा पंचायत समिति बालोतरा जिला बाड़मेर		1. सरपंच ग्राम पंचायत असाड़ा पंचायत समिति बालोतरा जिला बाड़मेर

निगरानी प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994 विरूद्ध पट्टा संख्या 31 दिनांक 04.04.2018 द्वारा ग्राम पंचायत असाड़ा।

उपस्थिति :–

1. श्री जेठाराम प्रजापत, अधिवक्ता प्रार्थीनी की ओर से उपस्थित।
2. अप्रार्थी प्रफॉर्मा पक्षकार।

आदेश

दिनांक : 15.11.2022

1. प्रार्थीनी की ओर से प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना–पत्र के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि अप्रार्थी द्वारा प्रार्थीनी के पक्ष में राजस्थान पंचायतीराज नियम, 1996 के नियम 157(2) के तहत ग्राम असाड़ा में ग्राम पंचायत की आबादी भूमि का पट्टा संख्या 31 दिनांक 04.04.2018 जारी किया गया। इस भूखण्ड का नाप एवं क्षेत्रफल पट्टा के संलग्न परिशिष्ठ में वर्णित अनुसार 1155 वर्गफीट व 128.33 वर्ग गज दर्शाया गया है। उक्त पट्टे को जारी करने में मौके की वास्तविक स्थिति, नाप [illegible] राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के प्रावधानों [illegible] से उक्त पट्टे की सत्यता, अवैधानिकता, [illegible] के पहलू पर [illegible] राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 की धारा 97 के तहत जांच करते हुए [illegible] करने हेतु उक्त प्रार्थना–पत्र इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2023.01.02 15:36:54 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बाड़मेर

2. अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं ग्राम पंचायत असाड़ा का प्रश्नगत अभिलेख तलब कर अवलोकन किया गया।

3. प्रार्थीनी की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि प्रार्थीनी के स्वामित्व व आधिपत्य का भूखण्ड ग्राम असाड़ा पंचायत समिति बालोतरा के आबादी भूमि के खसरा नंबर 548 रकबा 154 बीघा में वार्ड संख्या 6 मोयलों का वास में कुल क्षेत्रफल 1155 वर्गफीट व 128.33 वर्गगज में आया हुआ है। प्रार्थीनी उक्त भूखण्ड पर अपने परिवार सहित जन्म से निवास करती आ रही है एवं मौके पर उसका रहवासी कच्चा मकान बना हुआ है जिसमें प्रार्थीनी मय परिवार निवास करती है। अप्रार्थी ग्राम पंचायत असाड़ा द्वारा प्रार्थीनी के पक्ष में भूखण्ड एवं दिशाओं का नाप गलत अंकित करते हुए कुल 1155 वर्गफीट व 128.33 वर्गगज नाप का आलौच्य पट्टा जारी कर दिया है तथा इसका निष्पादन पंजीयन उप पंजीयक कार्यालय जसोल द्वारा किया गया है। मौके पर हस्तगत प्रकरण में प्रार्थीनी के कब्जे के भूखण्ड का वास्तविक स्थिति में नाप 1071 वर्गफीट व 119 वर्गगज ही है। इस प्रकार प्रार्थीनी को ग्राम पंचायत असाड़ा द्वारा ज्यादा क्षेत्रफल की जमीन का पट्टा जारी कर दिया है जिसको प्रार्थीनी निरस्त करवा कर सही नाप व पड़ौस का पट्टा जारी करवाने की अधिकारिणी है। लिहाजा ग्राम पंचायत असाड़ा द्वारा जारी आलौच्य पट्टा निरस्त कर मौके पर वास्तविक नाप व पड़ौस का नया पट्टा प्रार्थीनी के नाम से जारी करने का आदेश फरमाया जावे।

4. अधिवक्ता प्रार्थीनी ने यह भी निवेदन किया कि प्रार्थीनी ने जब अपने उक्त भूखण्ड पर मकान बनाने हेतु ऋण लेने हेतु अपने आलौच्य पट्टे की नकल ग्राम पंचायत से मांगी तब ही सर्वप्रथम प्रार्थीनी को गलत पट्टा जारी होने की जानकारी हुई। इस बाबत सरपंच ग्राम पंचायत असाड़ा से नये पट्टे की मांग करने पर अप्रार्थी द्वारा नया पट्टा देने से इनकार किया और कहा कि पहले पूर्व में जारी पट्टा निरस्त करवाओ तब ही सही नाप व दिशा–पड़ौस का पट्टा जारी किया जा सकेगा। लिहाजा प्रार्थीनी के नाम से जारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2023.01.02 15:36:54 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राज.)

जिला कलक्टर
बाड़मेर

आलौच्य पट्टा निरस्त फरमाया जाकर मौके पर निगरानी प्रार्थना–पत्र में पट्टे की प्रति के संलग्न परिशिष्ठ–अ अनुसार वास्तविक नाप व दिशा–पड़ौस का नया पट्टा जारी करने का आदेश फरमाया जावे।

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा प्रार्थीनी के अधिवक्ता द्वारा प्रकट तथ्यों एवं उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया जिससे पाया जाता है कि ग्राम पंचायत असाड़ा के समक्ष प्रार्थीनी द्वारा दिनांक 02.06.2017 को प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर पुश्तैनी कब्जेशुदा भूखण्ड का नियम 157 में विनियमन करने हेतु निवेदन किया है। सरपंच ग्राम पंचायत असाड़ा द्वारा ग्राम पंचायत की बैठक दिनांक 20.01.2018 के संकल्प संख्या 2 के अनुसरण में प्रार्थीनी के पक्ष में नियम 157(2) के तहत आलौच्य पट्टा संख्या 31 दिनांक 04.04.2018 को जारी किया गया। अधिवक्ता प्रार्थीगण का कथन है कि मौके पर हस्तगत प्रकरण में प्रार्थीनी के कब्जे के भूखण्ड का वास्तविक स्थिति में नाप 1071 वर्गफीट व 119 वर्गगज ही है जबकि ग्राम पंचायत असाड़ा द्वारा प्रार्थीनी के पक्ष में भूखण्ड एवं दिशाओं का नाप गलत अंकित करते हुए कुल 1155 वर्गफीट व 128.33 वर्गगज नाप का आलौच्य पट्टा जारी कर दिया है। इस प्रकार आलौच्य पट्टा विलेख से संबंधित ग्राम पंचायत के दस्तावेजों के अवलोकन एवं अधिवक्ता प्रार्थीनी द्वारा प्रकट तथ्यों से ग्राम पंचायत असाड़ा द्वारा प्रार्थीनी के पक्ष में मौके पर हस्तगत प्रकरण में प्रार्थीनी के कब्जे के भूखण्ड का वास्तविक क्षेत्रफल से अधिक नाप एवं पड़ौस का पट्टा जारी कर दिया गया है जो काबिल खारिज है। इस प्रकार ग्राम पंचायत असाड़ा द्वारा मौके पर वास्तविक नाप एवं पड़ौस से इतर प्रार्थीनी के पक्ष में ग्राम संकल्प के प्रस्ताव सं. 2 दिनांक 20.01.2018 एवं उसके अनुसरण में जारी किया गया आलौच्य पट्टा निरस्त योग्य है।

6. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप प्रार्थीनी की ओर से प्रस्तुत यह निगरानी प्रार्थना–पत्र जांच एवं परीक्षण उपरांत स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी ग्राम पंचायत असाड़ा द्वारा

Lok
जिला कलक्टर
बाडमेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2023.01.02 15:36:54 IST
Reason: SelfAttested

बैठक दिनांक 20.01.2018 में पारित प्रस्ताव सं. 2 एवं उसके अनुसरण में आलौच्य पट्टा संख्या 31 जारी करने का आदेश निरस्त किया जाता है।

7. आदेश आज दिनांक 15.11.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(लोक बंधु)
जिला कलक्टर, बाड़मेर
जिला कलेक्टर
बाड़मेर

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2023.01.02 15:36:54 IST
Reason: SelfAttested